



HAMIRPUR POLICE



दिनांक-31/08/2020

थाना राठ

शातिर अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

अवगत करना है कि थाना राठ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की रघुवीर सिंह पुत्र लल्लू राम राजपूत नि० बिलरख थाना राठ जनपद हमीरपुर अपने खेत के ट्यूबवैल पर अवैध तमंचा व कारतूस लिये है। इस सूचना पर थाना राठ पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया एवं उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 404/2020 धारा 3/25 A ACT का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि० का अपराधिक इतिहास

- 1.) मु०अ०सं० 72/15 धारा 307 भादवि
- 2.) मु०अ०सं० 131/14 धारा 307/323 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT
- 3.) मु०अ०सं० 1939/14 धारा 323/506 भादवि व 3(1)(10) SC/ST ACT
- 4.) मु०अ०सं० 404/2020 धारा 3/25 A ACT

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ०नि० श्री अक्नीश कुमार यादव
हे०का० बृजेन्द्र सिंह
का० उमाशंकर शुक्ला
का० विवेक चौहान

